भारत में बालिका शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सुनील कुमार
असि0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, श्री ठाकुर जी महाराज स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हेरवल, हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत
Email:anil.aina@gmail.com

सारांश

बालिका शिक्षा, महिला सशक्तीकरण पर विश्लेषण भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा रहा है, लेकिल तार्किक दृष्टिकोण के अभाव एवं स्वार्थपूर्ण राजनीति ने पितृसत्ता का कुत्सित रूप प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज की सामन्ती विचारधारा का पूंजीवादी गतिविधियों में सम्मिश्रण ने समाज में दमन, शोषण, वंचना एवं तिरस्कार का जो स्वरूप स्थापित किया है, उससे विकास, समृद्धि व नारी सशक्तिकरण में विसंगति उत्पन्न हुई हैं। स्थितियां स्पष्ट करती हैं कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अबतक के प्रयास अपूर्ण हैं, लेकिन उन प्रयासों से उत्पन्न सकारात्मक परिणामों को भी नकारा नहीं किया जा सकता है। अतः संवैधानिक प्रावधानों में नवोन्मेशी, समाजिक एवं लैंगिक समानता पर बल देने वाली योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक अपनाना होगा।

मुख्य शब्द– *नारी सशक्तीकरण, निजी क्षेत्र, शिक्षा आयोग, शिक्षा का अधिकार।*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में नारी शिक्षा पर लोगों की अलग–अलग राय है। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक कालीन भारत में भी नारी शिक्षा के तत्व मौजूद थे, लेकिन कहीं भी जनसामान्य में नारी शिक्षा की पुष्टि नहीं होती है। भारतीय सभ्यता पूर्व में उत्कृष्ट रही होगी, लेकिन उसके पतन की नींव आर्यों ने भारत में वर्ण एवं जाति आधारित सामाजिक विखण्डन से रखी। इस विखण्डन ने भारतीय मूल के नागरिक महिला एवं पुरूषों को न केवल अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया अपितु शिक्षा, समानता एवं पोषण के मौलिक अधिकारों पर विभिन्न प्रतिबन्ध स्थापित कर दिये। मुगलकालीन भारत में भी नारी शिक्षा को बल नहीं मिल सका, क्योंकि उस दौर में सामन्तवादी ताकतें अपने पैर पसारने के लिए धर्म एवं छल का सहारा ले रहे थे, जो आज तक भारतीय राजनीति द्वारा जनमानस में विषमता का कारण बनी है।

आधुनिक भारत के मार्गदर्शक, वंचित समाज के मसीहा एवं समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने सन् 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसमें सावित्री बाई फुले पहली शिक्षिका बनीं (Taneja, Richa 2017)। जोतिबा फुले, सावित्री बाई फुले एवं अन्य समाज

सुधारकों ने एकमत होकर यह माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। भारतीय महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद अधिक गति पायी, क्योंकि शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन विगत दो दशकों से शिक्षा प्रणाली को अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में जाति, वर्ग एवं लिंग आधारित सामाजिक दूरियों में वृद्धि हुई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर पूंजी के प्रभाव ने नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक सम्बन्धों के उद्भव और विकास पर जोर दिया है। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, पारिवारिक संरचना एवं विवाह से सम्बन्धित नए विचार; माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परपंरा एवं संस्कृति में स्वचेतन वर्ग के नये विचार उभरे हैं। यह स्वचेतन विचार समाज में बालिका शिक्षा के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं।

लिंगभेद एवं सामाजिक गैरबराबरी के कारण बालिका शिक्षा अभी उस स्तर पर पहंच पाने में सक्षम नहीं है, जिससे नारी सशक्तीकरण को सही अर्थों में पूर्ण माना जाय। इसलिए कहा जा सकता है कि लिंगभेद मिटाये बिना नारी सशक्तीकरण की बात बेइमानी होगी। नायला कबीर (1999) ने अपने लेख में नारी सशक्तीकरण को समझाने के लिए 'संसाधन, एजेंसी एवं उपलब्धि' के आधार पर विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि महिलाएं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करती हैं, लेकिन उनकी कार्मिक पहचान एवं संसाधनों के उपयोग की निर्णायक भूमिका उन्हें सशक्त रूप प्रदान करती है। यदि कोई महिला शिक्षा प्राप्त कर स्वविकास के साथ आने वाली पीढ़ी विशेषतः बेटियों को शिक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए प्रयास करती है तो वह महिला सशक्त मानी जायेगी (कबीर, 1999, 435)। परन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली में व्याप्त लिंगभेद के कारक आज भी विद्यमान हैं। करूना चानना ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त लैंगिक विषमता पर सवाल उठाते हुए कहा है, कि आज भी माता–पिता लड़कों को महंगे निजी स्कूलों तथा लड़कियों को सस्ते विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। खेलों में भी लिंगभेद देखा जा सकता है, लड़कियों को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। संगीत में भी लड़कियों को गायन एवं सहायक वाद्य यन्त्र एवं लड़कों को तबला एवं ढोल जैसे वाद्य यन्त्र सिखाने पर बल दिया जाता रहा है (Chanana, 2003, Kumar, 2017,187)। इसलिए बालिका शिक्षा न केवल वर्तमान वैयक्तिक एवं सामाजिक संरचना को मजबूत बनाती है, अपितु भविष्यगामी परिणामों में भी निर्बाध रूप से गति प्रदान करने में सहायक होती है।

भारत में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु उपाय

हमारे समाज की इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है, कि भारतीय शिक्षा नीतियों में लैंगिक विभेद मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं (Chanana, 2017,117)। लेकिन समाज में विभेदकारी सामाजिक तथ्यों की मौजूदगी से समतामूलक स्थिति बनने में अड़चने आ रही हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों, संवैधानिक प्रयासों से प्राप्त सकारात्मक परिणामों को नकारा नहीं जा सकता है। बालिका शिक्षा के लिए किये गये विभिन्न प्रयासों को निम्न रूप में सारगर्भित किया जा सकता है।

क. बालिका शिक्षा एवं समाज सुधार आन्दोलन

भारत की प्रत्येक नारी एवं वंचित समाज के व्यक्ति को ज्योतिबा फुले के लिए आदर प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सन् 1848 में अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर पहला विद्यालय भिण्डेवाड़ा, पुणे में खोला, जिसमें महार एवं मांग जाति के बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिला (Taneja, Richa 2017)। सावित्री बाई फुले जब पढ़ाने जाती थीं तब उच्च जाति के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, लेकिन वह शिक्षा देने से कभी पीछे नहीं हटीं यहां तक कि ड्रॉपऑउट रोकने के लिए छात्रवृत्ति भी देती थीं। उनके इस अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था की जननी कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। उनके अतिरिक्त अन्य समाज सुधारकों यथा महादेव गोविन्द रानाडे, राजाराम मोहन राय एवं ईश्वरचन्द विद्यासागर ने भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं लिंगभेद सहित अनेकों सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए योगदान दिया। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज नें सन् 1894 में कोल्हापुर में दलित एवं पिछड़ों की शिक्षा के लिए विद्यालयों के साथ–साथ छात्रावास बनवाये, जिससे दलितों के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ। उन्होंने 1894 से 1922 तक समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षण संस्थायें खुलवाईं, जिससे सदियों से दमित एवं शोषित जातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार एवं चेतना का संचार हुआ। वंचित एवं गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश से छात्रवृत्ति बीच में रूकने की जानकारी मिलने पर छत्रपति साहूजी महाराज नें आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा जारी रखी।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के माध्यम से महिला एवं पुरूषों समेत सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये हैं (Ambedkar, 1950)। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुपृथा पर कुठाराघात करके तत्कालीन हिन्दू धर्म के ठेकेदारों को चुनौती देते हुए 1943 के एक भाषण में कहा था, कि ''यह असम्भव है कि उन लोगों के लेखों को न पढ़ा जाय जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए रूढ़िवादिता का पक्ष लिया तथा **'सहमति की आयु बिल'** की गहन वास्तविकता को जाने बिना विरोध करके अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया। इस बिल का उद्देश्य उस पति को दण्डित करना था जो अपनी 12 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से यौन सम्बन्ध स्थापित करता है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कोई तार्किक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शर्म का आभास हो, एक साधारण मापदण्ड का विरोध कर सकता है'' (Ambedkar, 1943, कुमार, 2018,113)। अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को न केवल संपत्ति, विवाह, तलाक आदि में समानता का अधिकार दिलाया अपितु उन्हें सशक्त करने का कार्य किया। इन अधिकारों ने भारतीय महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, अन्यथा परम्पराओं के नाम पर ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के पोषक आज भी बालिकाओं को घरों की दीवारों में कैद रखकर उनके सर्वांगीण विकास को अवरूद्ध कर रहे होते।

ख. शिक्षा आयोगों/समितियों का बालिका शिक्षा के लिए योगदान

भारत के इतिहास में सन् 1792 के चार्ल्स ग्रांट अवलोकन से लेकर अब तक 30 से

अधिक शिक्षा आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट तथा सुझाव प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आयोगों एवं समितियों के बालिका शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव निम्न हैं।

1. **वुड का घोषणा–पत्र 1854 (महाअधिकार पत्र):** वुड ने अपने घोषणा–पत्र में बालिका शिक्षा के लिए धनी लोगों को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा।

2. **भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग–1882):** इस आयोग ने शिक्षा विभागों में सुधार, धार्मिक एवं मुस्लिम शिक्षा, नारी शिक्षा अदि पर बल दिया। निजी बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान की सिफारिश की।

3. **कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग– 1917–19:** किशोरियों की शिक्षा के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना तथा विश्वविद्यालय में नारी शिक्षा के लिए अलग बोर्ड, विशेष पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधा के लिए सिफारिश की।

4. **सार्जेन्ट शिक्षा योजना– 1944:** इस आयोग ने 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। छात्र–शिक्षक अनुपात एवं महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति पर जोर दिया।

5. **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948–49:** अलग बालिका कॉलेज खोलने, सहशिक्षा वाले विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं महिलाओं की अभिरूचि एवं आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण पर बल दिया।

6. **माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53:** महिलाओं को उन सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जो पुरूष प्राप्त कर सकते हैं।

7. **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66:** महिलाओं के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने, सभी राज्यों में महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग–अलग विभाग होने चाहिए। नर–नारी शिक्षा के मध्य अन्तर की खाई को दूर करने की सिफारिश की।

8. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986:** महिलाओं एवं वंचित समाज के लोगों की प्रस्थिति एवं समानता स्थापित करने के लिए उभरती तकनीकि एवं नवाचारों में महिलाओं एवं वंचित वर्ग की सहभागिता को बढ़ावा देने वाले अनेक उपाय किये गये। विद्यालयों को सक्षम बनाने हेतु ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया। पिछड़े इलाकों में ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी।

2. इक्कीसवीं सदी में बालिका शिक्षा प्रोत्सान हेतु प्रावधान

क. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे सन् 2001–02 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से निश्चित समयावधि के लिए चलाया गया था। सन् 2005 तक यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा के सभी कार्यक्रमों को शामिल करते हुए अम्ब्रेला कार्यक्रम का रूप ले चुका था। इसमें शामिल बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित एवं सशक्त करने वाले निम्न कार्यक्रम चलाये गये।

1. आरम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)– 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु रूचिपूर्ण वातावरण स्थापित करने हेतु मीना मंच, अतिरिक्त मीना–कक्ष, खेलकूद सामाग्री एवं साइकिल आदि की व्यवस्था की गयी।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)– गरीब परिवारों की ऐसी बालिकाएं जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं के लिए पूर्व माध्यमिक तक निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक उच्चीकृत कर दिया गया है।

3. माहिला सामाख्या– वंचित वर्ग की महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सशक्तीकरण के लिए भारत के 10 राज्यों में माहिला सामाख्या का संचालन किया जा रहा है।

4. समाज में व्याप्त सामाजिक (जातिगत), आर्थिक एवं लैंगिक असमानता दूर करने एवं कुपोषण कम करने के लिए मिड डे मील (MDM) योजना का आरम्भ किया गया।

5. समान शिक्षा हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की गयी।

6. वर्तमान समय में बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग, पोशाक, जूते–मोजे आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।

ख. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009

भारत सरकार ने भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा बच्चों (6–14 वर्ष) के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया। यह अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार के अतिरिक्त शिक्षकों, अभिभावकों, पंचायत/स्थानीय निकाय एवं सरकार के साथ–साथ निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

ग. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (**RMSA**) का आरम्भ भारत सरकार द्वारा सन् 2009 में किया गया था। इस अभियान के तहत भारत के 3479 पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं हेतु 100 बेड के छात्रावास निर्माण का प्रावधान किया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा न महसूस करें।

घ. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं के लिए पर्याप्त छात्रावास एवं शौचालय की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जिससे बालिकाओं को शिक्षा के दौरान असुविधा न हो। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने हेतु नामांकन में वृद्धि पर जोर दिया गया है।

3. भारत में बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण

भारत में बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय जैसे अनेक कारकों से जुड़े निम्न कारण विद्यमान हैं–

लिंगभेद के कारण भोजन, पोषण एवं सेहत की देखभाल में भेदभाव।

कम उम्र में विवाह, यौनिक क्रियाओं में लिप्तता, अनचाहा गर्भधारण।

छेड़छाड, बलात्कार की बढ़ती घटनायें एवं इस तरह की घटनाओं की आशंका।

लड़कियों की गतिशीलता पर सामाजिक पाबन्दी।

जातिगत भेदभाव के कारण ग्रामीण वंचित समुदाय की बालिकाओं की रेग्यूलर शिक्षा से दूरी।

शिक्षण संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ शौचालयों की कमी आदि।

4. निष्कर्ष

भारतीय शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से लिंगभेद के विभिन्न कारक विद्यमान रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा एवं सशक्तीकरण की प्रक्रिया अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। विभिन्न समाज सुधारकों, सामाजिक चिंतकों, शिक्षाविदों ने समय–समय पर बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रयास किये हैं। उपनिवेशकालीन भारत एवं आजाद भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों, समितियों, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा शिक्षा सुधार में निरन्तरता बनी है। सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये गये प्रयासों से भौतिक, गुणात्मक एवं धारणीय विकास को गति मिली है। लेकिन शिक्षा के व्यवसायीकरण ने पुनः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समाज की बालिकाओं को गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुख शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि भारतीय सामाजिक संरचना विखण्डित होने से बचाने के लिए सशक्त, शिक्षित एवं संवेदनापूर्ण नारियों को शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। भारतीय शिक्षा को सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी हाथों में स्थापित किया जा रहा है, जो सामाजिक संरचना के विरूद्ध एवं अमानवीय है। इसलिए नागरिकों, जनतांत्रिक इकाईयों एवं सिविल सोसाइटी को सजग होना ही होगा।

सन्दर्भ

1 कुमार, अनिल 2018 *पारिवारिक रिश्तों में महिलाओं के प्रति यौनिक हिंसा एवं लिंगभेदः भारतीय समाज एवं न्याय–व्यवस्था पर विमर्श, कलमः द पॉवर ऑफ ट्रुथ*, वैल्यूम–8, **अंक–18, पृष्ठ 111–15.**

2Ambedkar B. R. 1943 Ranade Gandhi & Jinnah, Address Delivered on The 101st Birthday Celebration of Mahadev Govind Ranade Held on The 18th January 1943, Bombay: Thacker & Co, Ltd. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_ranade.html.

3Ambedkar, BR 1947 *Hindu Code Bill*, http://thewirehindi.com/6046/hindu-code-bill-controversy/ Retrived on: 30 June 2018.

4Ambedkar, BR 1950 *The Constitution of India"* Government of India, https://www.india.gov.in, Retrived on: 30 June 2018.

5 Chanana K. 2003. *Female Sexuality and Education of Hindu Girls in India* in Sharmila Rege (ed). Sociology of Gender: The Challenges of Feminist Sociological Knowledge, New Delhi & London, Sage Publications.

6 Chanana, Karuna 2013, "Gender in the New Education Policy 2016 in the Making Process and Outcome", *Higher Education for the Future*, Vol. 4, No. 2**, pp 117-128**.

7 Kabeer, Naila 1999 "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurements of Women Empowerment", *Development and Change*, Vol. 30**, pp 435-464**.

8 Kumar, Anil 2017 "Politics of Quality Education: Exploring Challenges of RTE Act in India" *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, Vol. - 5, Issue- 7, **pp 124-31**.

9 RTE Act 2009 *The Right of Children to Free and Compulsory Education*, Ministry of HRD, Govt. of India. http://mhrd.gov.in.

10 RMSA 2009 *The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)*, Ministry of HRD, Govt. of India http://rmsaindia.gov.in.

11 RUSA 2013 *The Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RMSA)*, Ministry of HRD, Govt. of India http://rusa.nic.in.

12 Taneja, Richa 2017 Remembering Jyotirao Phule: The Pioneer of Girls' Education in India, https://www.ndtv.com.